

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी - यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 105/2017  
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

बलतेजसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, जटसिख, चक 3 एल.  
एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ...वादी

बनाम

1. दयालसिंह आत्मज श्री पालासिंह, जटसिख, चक 3 एल.एल.  
तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. गुरतेजसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, जटसिख, चक 3 एल.  
एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.  
..प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री संजय जनवेजा (वादी)  
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी-1-2)  
पैरोकार राज (प्रतिवादी-3)

दिनांक 01 फरवरी, 2018

- निर्णय -

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 1.866 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल में से वादी के पिता (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम पर दर्ज है. जो वादी परिवार की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी, प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. इस प्रकार वर्णित कृषि भूमि वादी परिवार की पैतृक सम्पत्ति है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वर्णित कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के साथ घर बंटवारा किया गया जिसके अनुसार किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर वादी को एवं किला नम्बर 14 एवं 15 कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को दी गयी जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 के कहे अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय कर प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 2 को दे दी गयी. वादी अपने हिस्सा के 0.506 हैक्टर कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है जिसकी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि जब भी वादी चाहेगा, गणित सतिलिपि सहमति से बंटवारा कर वादी के नाम पर दर्ज करवा दी जायेगी. जिस पर वादी द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर मेहनत कर सुधार कार्य किये गये हैं. कुछ दिवस पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम पर दर्ज करवाने के कथन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते हुए दिनांक 10 जनवरी, 2018 को वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके

सहायक कलक्टर एवं  
कोषापालक दण्डनायक  
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर



प्रतिवादी अधिकारी  
कार्यालय रिकार्ड  
श्रीगंगानगर

नाम पर दर्ज करवाने से इन्कार हो गया जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उसका पैतृक अधिकार व न्याय से वंचित करना चाहता है. यही वाद हेतुक उपलब्ध है. ऐसी स्थिति में, वादी वर्णित पैतृक सम्पत्ति में से अपने पैतृक अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लालचवश वादी को उसका पैतृक हिस्सा देना नहीं चाहता. यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि को विक्रय कर दिया गया तो वादी अपने पैतृक अधिकारों से वंचित होगा तथा वादबाहुल्यता बढ़ेगी. इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. इस प्रकार वादी द्वारा चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि के लिये खातेदारी घोषित कर पृथक से लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067-2070 एवं नामान्तरकरण संख्या 140 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 19 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7077 8924 6719, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5963 2534 9424 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9833 5489 6277 की स्व: प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 23 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक प्रभारी अधिकारी समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. कार्यालय रिकार्ड माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार ~~सर्वेक्षण~~ भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनाथक  
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

डिकी

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी - यशपाल आहूजा, R.A.S.



बलतेजसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, जटसिख, चक 3 एल.एल. तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर ...वादी

बनान

1. दयालसिंह आत्मज श्री पालासिंह, जटसिख, चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. गुरतेजसिंह आत्मज श्री दयालसिंह, जटसिख, चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 105/2017

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी-3) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -

राजीनामा दिनांक 19 जनवरी, 2018 के अनुरूप वादी श्री बलतेजसिंह को चक चक 3 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 25/24 मुरबा नम्बर 25 के किला नम्बर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टरांगित प्रतिलिपि मुक्ति मय खाल का आदेश प्रेषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते...शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुये व्यय मय ब्याज.  
..शून्य.....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक प्रभारी अधिकारी कार्यालय रिकार्ड अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04 फरवरी 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीगंगानगर



वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर